

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

मिसल नं 8 सन् 2019

स्टेट जरिये पटवारी हल्का

बनाम सुशाला
पुत्री श्री मोहनराम
जाति कुम्हार
निवासी पांचू

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत

निर्णय दिनांक 22/7/19

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण अनुसार पटवारी हल्का पांचू (इ.दि.०) द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अप्रार्थी श्री सुशाला पुत्री श्री मोहनराम जाति कुम्हार निवासी पांचू ने खसरा नंबर 5416 तादादी 0.02 वाके रोही पांचू इ.दि.० किस्म गै.मु.

गोचर में संवत् 2076 में किस्म नाजायज कब्जा/काश्त करके अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट की गिरदावर हल्का द्वारा जांच की जाकर पेश की गई। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी श्री सुशाला पुत्री श्री मोहनराम

जाति कुम्हार निवासी पांचू को राजस्थान भू-अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। गैर सायल श्री सुशाला पुत्री मोहनराम उपस्थिति/अनुपस्थित। गैर सायल की तरफ से सबूत में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्री सुशाला

द्वारा खसरा नंबर 5416 तादादी 0.02 गोचर/जोहड़ पायतन/अराजीराज/गै.मु.सड़क/रास्ता वाके रोही पांचू इ.दि.० में संवत् 2076 में नाजायज कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

श्री सुशाला को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने एवं शरह पड़त सालाना तावान 1 रकबा 0.02 का 50 गुणा बतौर शास्ति 1=0 /-रु. कायम की जाकर वसूल करने के आदेश

दिये जाते हैं। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को लिखा जावे कि मौके पर पहुंच कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तहसील राजस्व लेखाकार को शास्ति की मांग कायमी हेतु तथा पटवारी हल्का को आरोपित शास्ति वसूली करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पालना रिपोर्ट तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को खुले ईजलास न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
नोखा जिला बीकानेर